प्रो०, सांवर लाल जाट,माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 18.11.2015 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु विशेष समिति की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त।

प्रो० संवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण की अध्यक्षता में नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति की सातवीं बैठक केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन के सम्मेलन सभागृह, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में 14.30 बजे 2015/11/18 पर आयोजित किया गया था। श्री गिरीश महाजन, जल संसाधन मंत्री, महाराष्ट्र सरकार; श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई, उत्तर प्रदेश सरकार; तेलंगाना सरकार के सलाहकार श्री आर. विद्यासागर राव; प्रोफेसर रमेश चंद, सदस्य (कृषि), राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं केंद्र सरकार और राज्य सरकार संगठनों के विभिन्न सदस्यों/ प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I पर रखी गई है।

प्रारंभ में, राज्य मंत्री, जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों और विशेष समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया। उन्होंने देश के जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के महत्व पर प्रकाश डाला, जो जल की कमी, सूखा प्रवण और वर्षायुक्त खेती क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने में मददगार होगा। उन्होंने संबंधित राज्य सरकारों की मतैक्यता और सहयोग के साथ नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। उन्होंने स्मरण कराया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 27 फरवरी 2012 के निर्णय में नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय हित में होना बताया था और इसके प्रारंभिक क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया था।

माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में विभिन्न मंजूरी चरण-I में प्रसंस्करण के उन्नत चरण में थे। मध्य प्रदेश के राज्य वन्यजीव मंडल द्वारा 22.9.2015 को आयोजित की गई बैठक में पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय वन्यजीव मंडल (एनबीडब्ल्यूएल) के समक्ष परियोजना के लिए वन्यजीव अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को अग्रेषित करने के लिए लिंक परियोजना की अनुशंसा की गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगस्त, 2015 में गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों के मध्य पार-तापी-नर्मदा लिंक की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और दोनों राज्य सरकारों को जल्द ही अपनी टिप्पणियों/विचारों को जल्द से जल्द भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के संबंध में गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जल साझाकरण का मुद्दा प्राथमिकता पर उठाया गया था और दोनों राज्यों के सहयोग से इन दोनों परियोजनाओं के जल बंटवारे पर एक समझौते पर पहुंचने की आशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा गठित नदियों के बीच में जोड़ने के लिए कार्यबल सभी प्रासंगिक मुद्दों की जांच कर रहा है और लिंक परियोजनाओं पर राज्यों के बीच तेजी से आम मतैक्यता लाने में मदद करेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन पर उप-समिति के अध्यक्ष ने 21.9.2015 को माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) को अपना प्रतिवेदनसौंपा था। उन्होंने सरकार से प्रारंभिक अनुमोदन के लिए उप-समिति की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने के लिए डब्लू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. के मंत्रालय से अनुरोध किया। राज्य के माननीय मंत्री ने सभी सदस्यों, विशेष रूप से संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग और सहायता की मांग की, जो नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए बहुत आवश्यक थी।

माननीय राज्य मंत्री (डब्लू.आर., आर.डी. एंड जी.आर.) ने इसके बाद, राज्य सरकारों के माननीय मंत्रियों और सदस्य (कृषि), नीति आयोग से अनुरोध किया कि वे अपने विचार व्यक्त करें।

उत्तर प्रदेश:

श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उनका राज्य पूरी तरह से नदियों के कार्यक्रमों के अंतःकरण के कार्यान्वयन के लिए सहयोग कर रहा है।उन्होंने आगे कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना, चरण-I को लागू किया जाना चाहिए और इसके लिए एक समझौता आवश्यक था। उन्होंने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के लिए परियोजना को वन मंजूरी उत्तर प्रदेश के वन विभाग में संसाधित की जा रही है। माननीय मंत्री ने अनुरोध किया कि म०प्र० और उ०प्र० के दोनों राज्यों की संभावित लाभ की समीक्षा की जानी चाहिए और इस तरह की समीक्षा के आधार पर केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II के नियोजन और कार्यान्वयन को शुरू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं, गंडक-गंगा, कोसी-घाघरा और शारदा-यमुना लिंक के डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य शीघ्र ही किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र:

महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री गिरीश महाजन ने बताया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना में महाराष्ट्र राज्य को 100% निर्भरता के बजाय 75% निर्भरता पर आवंटित किया जाना चाहिए और जैसे, सुरंगों/जल संचयन प्रणाली को ऐसे जल के व्यपवर्तन मात्रा के अनुरूप बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जिससे जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।जलसंकट के वर्षों में, दोनों राज्यों द्वारा जल आवंटन के अनुपात में संकट को साझा किया जाना चाहिए। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया है कि दमनगंगा-पिंजल लिंक एक पेयजल आपूर्ति परियोजना है, इसलिए इस तरह के परियोजनाओं के लिए लागू निर्भरता मानदंड 100% था। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. को दमनगंगा (एकदरे)-गोदावरी बेसिन अंतर राज्य लिंक की डी.पी.आर. तैयार करने का काम लेना चाहिए और व्यपवर्तन को दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना का हिस्सा माना जाना चाहिए। गुजरात की मधुबन बांध की उर्ध्वप्रवाही आवश्यकता अर्थात 110 एमसीएम को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि इसका प्रतिकूल प्रभाव दमनगंगा (एकदरे)-गोदावरी बेसिन अंतरा-राज्य लिंक पर नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा पार-तापी-नर्मदा लिंक के डी.पी.आर. की जांच की जा रही है और इस पर टिप्पणी जल्द ही जमा की जाएगी।उन्होंने वांछित किया रा.ज.वि.अ. को कोयना-मुंबई सिटी अंतरा-राज्यलिंक की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनआरंभ करना चाहिए।

तेलंगाना:

तेलंगाना सरकार के सलाहकार श्री आर. विद्यासागर राव ने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. द्वारा समय-समय पर रा.ज.वि.अ. के तकनीकी सलाहकार समिति (त.स.स.) द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के आधार पर गोदावरी बेसिन का जल संतुलन अध्ययन तैयार किया गया था। नवीनतम अध्ययनों के प्रकाश में इन अध्ययनों को संशोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रा.ज.वि.अ. ने एनपीपी के प्रस्ताव तैयार करते हुए उद्वहन को 120 मीटर से अधिक नहीं माना था, जबकि तेलंगाना में 300 मीटर और इससे अधिक हेतु कमान क्षेत्र सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता थी। उन्होंने उल्लेख किया कि गोदावरी और कृष्णा के जल के संबंध में न्यायाधिकरण के अधिनिर्णयों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और तेलंगाना सरकार को एनपीपी के अंत:राज्यीयलिंक प्रस्तावों के माध्यम से स्थानांतरित किए जाने वाले जल की मात्रा को अंतिम रूप देकर आत्मविश्वास में लेना चाहिए। माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री (डब्लू.आर., आर.डी. एंड जी.आर.) ने कहा

कि तेलंगाना जल का अपना हिस्सा उपयोग कर सकता है और केवल अधिशेष जल को व्यपवर्तन के लिए लिया जाएगा और कहा गया कि रा.ज.वि.अ. तेलंगाना सरकार के परामर्श के साथ अध्ययन करेगी।

नीति आयोग:

प्रोफेसर रमेश चंद, सदस्य (कृषि), नीति आयोग ने पाया कि जल की भविष्य की मांग को पूरा करने और सिंचाई क्षेत्र में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए नदियों के अंतर्योजन की परियोजना महत्वपूर्ण थी। उन्होंने उल्लेख किया कि भूजल के माध्यम से सिंचाई की क्षमता के निर्माण की प्रक्रिया लगभग गतिरोध थीऔर जो कुछ भी सिंचाई विकास हुआ था वह भूजल के माध्यम से किया गया था। इसलिए, देश के लिए नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम आवश्यक थे और इसे शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम, चरण-I में तेजी लाने और परियोजना के प्रारंभिक पर्यावरण, वन्यजीव और वन मंजूरी के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संपर्क किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) का लक्ष्य नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम और नदियों के अंतर्योजन कीपरियोजनाओं के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।

उसके बाद, अध्यक्ष की अनुमति से, रा.ज.वि.अ. के महानिदेशकएवं सदस्य-सचिव, विशेष समिति ने चर्चा के लिए कार्यसूची मदें प्रस्तुत कीं।

मद सं. 7.1: नई दिल्ली में 15 सितंबर, 2015 को आयोजित नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति की छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि इस बैठक की छठी मीटिंग के कार्यवृत्त दिनांक 06.11.2015 के पत्र के माध्यम से नदियों के जोड़ने के लिए विशेष समिति को परिचालित किए गए थे। समिति के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने बैठक से ठीक पहले तमिलनाडु सरकार की टिप्पणियों की एक प्रति सौंपी थी। यह देखा गया कि टिप्पणियां विशेष समिति की छठवीं बैठक के 'कार्यवृत्त के अभिलेखों' से संबंधित नहीं थीं, लेकिन तमिलनाडु के पौन्नैयार (कृष्णागिरी)-पलार लिंक के संदर्भ में कर्नाटक की टिप्पणियां थीं। यह निर्णय लिया गया कि तमिलनाडु सरकार के उपरोक्त टिप्पणियों का उत्तर उन्हें रा .ज.वि.अ. द्वारा अलग से भेजा जाएगा। तदनुसार, छठवीं बैठक के कार्यवृत्त की परिचालित के रूप में पुष्टि की गई।

मद सं.7.2: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई का अनु पालन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि विशेष समिति की छठी बैठक के दौरान लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित कार्यवाहियां की गईं:

(i) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में आम मतैक्यताबनाने (उप-समिति-IV) की उप-समिति 30.10.2015 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसमें झारखंड राज्य के बरकर-दामोदर-सुबर्णरेखा अंतः राज्जीय लिंक परियोजना पर चर्चा की गई थी। । जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अंतः राज्जीय लिंक की पूर्व संभाव्यताप्रतिवेदन की चर्चा के अनुसार समीक्षा की जाएगी।

(ii) माननीय केन्द्रीय मंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) के निर्देशन में एक बैठकविशेष सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) द्वारा कर्नाटक और रा.ज.वि.अ. सरकार के अधिकारियों के साथ

15 सितंबर, 2015 को बैठक आयोजित की गई। माननीय मंत्री, जल संसाधनकर्नाटक सरकार के द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति की छठी बैठक के दौरान विस्तार से चर्चा की गई। कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी विशेष सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) के डीओ पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2015 द्वारा उत्तर दिया गया है।

(iii) जैसा कि निर्णय लिया गया है, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पुनर्गठन पर उप-समिति का प्रतिवेदनरा.ज.वि.अ. की वेबसाइट पर रखा गया है।

(iv) जैसा कि निर्णय लिया गया है, विभिन्न राज्यों के अंतः राज्जीय लिंक परियोजनाओं के डी.पी.आर. की अद्यतन स्थिति अलग एजेंडा मद सं 7.8 के दायरे में लिया गया है।

(v) जैसा कि निर्णय लिया गया है, नदियों के अंतर्योजन की परियोजना पर इसकी पृष्ठभूमि को दायरे में लेती हुईएक व्यापक प्रस्तुति, अब तक किए गए अध्ययन, लिंक परियोजनाओं की योजना में शामिल विभिन्न मुद्दों आदि सभी कार्यसूची पूरा होने के बाद, रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक द्वारा दी जाएगी।

ऊपर उल्लिखित अनुवर्ती कार्रवाई समिति द्वारा संज्ञान में ली गई।

मद सं.7.3: नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति के अनुमोदन से गठितविभिन्न उप-समितियों द्वारा की गई प्रगति

7.3.1: महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.ने सूचित किया कि नदियों के अंतर्योजन के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/प्रतिवेदनों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति की एक संयुक्त बैठक (उप-समिति-I) और सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन के लिएश्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण और अध्यक्ष, कार्यबल-नदियों का अंतर्योजन(उप-समिति-I के भी अध्यक्ष) की अध्यक्षता वाली उप-समितिकी बैठकनई दिल्ली में 29.9.2015 को आयोजित हुई। बैठक के दौरान संशोधित महानदी-गोदावरी लिंक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विशेष समिति की बैठक के दौरान चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केरल के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि उनके राज्य का सदस्य उप-समिति में शामिल किया जाना चाहिए। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया किउप-समिति में विभिन्न विशेषज्ञ शामिल हैं एवं जब और जहां आवश्यक हो, उप-समिति के विचाराधीन लिंक प्रस्ताव से संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों को उप-समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

7.3.2: महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.ने सूचित किया कि उप-समिति राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पुनर्गठन पर (उप-समिति-III) ने अपना कार्य पूरा कर माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) और अध्यक्ष, विशेष समिति को अपनी 21.9.2015 को प्रतिवेदनसौंपा था। उन्होंने उल्लेख किया कि इस प्रतिवेदन पर आगे की चर्चा मद सं. 7.10 के तहत प्रस्तावित की गई थी।

7.3.3: महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्षकी अध्यक्षता में संबंधित राज्यों के बीच वार्ता और संबंधित राज्यों के बीच समझौतों पर विचार-विमर्श के माध्यम से उप-समिति की एक बैठक नई दिल्ली में 30.10.2015 को हुई थी।झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।

उप-समिति की बैठक के निर्णय/परिणाम समझाते हुए, रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. को कर्नाटक सरकार द्वारा उनके बार-बार आश्वासन के बावजूद नेत्रावती-हेमावतीलिंकके लिए बेंगलुरु शहर की घरेलू जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नेत्रावती जल का उपयोग करने की योजना और नेत्रावती-हेमावतीअंतर बेसिनलिंकके लिए अन्य जल के छोटे क्षेत्रोंका विवरणअभी तक नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक सरकार बेदी-वरदा अंतर बेसिनलिंक परियोजना क्षेत्र के लिए ईआईए अध्ययनों के विचारार्थ विषयों को भी अंतिम रूप नहीं दे रही है। कर्नाटक के प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य सरकार ने नेत्रावतीबेसिन के जल उपयोग पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की थी और जो सूचना भारत सरकार को सर्वसम्मति बनाने की उप-समिति की बैठक में दिया जाना था, उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया गया था जब तक समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर देती। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रतिवेदन फरवरी, 2016 तक पूरा हो जाएगा और कर्नाटक सरकार की विचारधारा को रा.ज.वि.अ. को तदनुसार अग्रेषित किया जाएगा।

विशेष सचिव (डब्लू.आर., आर.डी. एंड जी.आर.) ने बताया कि एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के 14 संभाव्यता अध्ययन पूरा हो चुके हैं और कर्नाटक सरकार से ब्योरे के लिए केवल 2 अध्ययन बाकी थे। इसलिए, राज्य सरकार के प्रतिनिधि को रा.ज.वि.अ. को जानकारी प्रदान करने के लिए समय अवधि की आवश्यकता होगी।

माननीय राज्य मंत्री (डब्लू.आर., आर.डी. एंड जी.आर.) ने निर्णय किया कि कर्नाटक सरकार की प्रतिक्रिया एक माह के समय में प्राप्त की जानी चाहिए।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने आगे बताया कि बरकर-दामोदर-सुबर्णरेखाअंतरा-राज्यलिंक परियोजना पर 30.10.2015 को उपर्युक्त बैठक में उप-समिति द्वारा विचार किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि बरकर नदी पर प्रस्तावित बालपहाड़ी बांध स्थल पर जल संतुलन अध्ययन और रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार इस लिंक की पूर्व-संभाव्यता प्रतिवेदन को बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रकाश में संशोधित किया जा सकता है।

मद सं.7.4: केन-बेतवा लिंक परियोजना, चरण-I - विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों की स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I के प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 26 अक्टूबर, 2015 को आयोजित अपनी 88 वीं बैठक में पर्यावरण मंजूरी के लिए विचार किया था, जिसमें समिति ने मध्य प्रदेश के राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा परियोजना की वन्यजीव मंजूरी और पन्ना टाइगर रिजर्व में विस्तारित लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान (एलएमपी) जैसे अल्पीकरण के उपायों के बारे में जानकारीमांगी थी। उन्होंने आगे बताया कि मध्य प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड ने माननीय मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में 22 सितंबर 2015 को अपनी बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी और राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद (एनबीडब्ल्यूएल) द्वारा वन्यजीव अनुमति की सहमति की अनुशंसा की थी। एनबीडब्ल्यूएल द्वारा वन्यजीव मंजूरी के लिए राज्य सरकार शीघ्र ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव जमा करा दिया जाएगा।रा.ज.वि.अ. ने जल्द ही आवश्यक एलएमपी तैयार करने के लिए भारत के वन्यजीव संस्थान, देहरादून से अनुरोध किया है।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने आगे बताया कि छतरपुर जिले के संबंध में वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए एफआरए प्रमाणपत्र वन विभाग, मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। सीसीएफ छतरपुर से जलग्रहण क्षेत्र उपचार (सीएटी) की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। रा.ज.वि.अ. संबंधित जिलाधीश/मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) के साथ

मामले को देख रहा था ताकि लंबित एफआरए प्रमाणपत्र और सीएटी योजना के तकनीकी अनुमोदन को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके।

माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को केन-बेतवा लिंकपरियोजना, चरण-I के तहत प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा जाननी चाही। विशेष सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने कथन किया कि परियोजना के अंतर्गत कुल सिंचाई लाभ 6,35,661 हेक्टेयर था, जिसमें से 2,65,780 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में था और 3,69,881 हेक्टेयर मध्य प्रदेश में था। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में बांदा, महोबा और झांसी जिलों और मध्य प्रदेश में छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ के जिलों को लाभ होगा। माननीय कृषि राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ने इस बात पर बल दिया कि इस योजना से लाभ वास्तव में क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचने की योजना सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरणों को समिति ने संज्ञान में लिया।

मद सं.7.5: केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II –डी.पी.आर. की वर्तमान स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि निचला ओर बांध के पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन के एक भाग के रूप मेंनिचला ओर बांध के लिए सार्वजनिक सुनवाई तीन स्थानों पर (i) गांव दादोनी, जिला शिवपुरी 17.9.2015 को, (ii) 18.9.2015 को ग्राम पिपरौद, जिला अशोक नगर और (iii) ग्राम नौनर, जिला दतिया 19.9.2015 को आयोजित की गई है। प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं उस पर किए गए अनुपालन को अंतिम ईआईए और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना, चरण-II की पर्यावरण स्वीकृति के अनुसार ईआईए प्रतिवेदन ईएसी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि निचला ओर बांध के तहत वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी जिलाधीश और जिला वन अधिकारी (डीएफओ), अशोक नगर और शिवपुरी को वन मंजूरी के मामले में प्रसंस्करण के लिए सौंप दी गई है।

कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरणों को समिति ने संज्ञान में लिया।

मद सं.7.6: दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाएं- डी.पी.आर. की वर्तमान स्थिति

आइटम 7.6.1: दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने संक्षेप में लिंक परियोजना की स्थिति समझाई और उल्लेख किया कि दमनगंगा - पिंजल लिंक परियोजना से लाभ मुख्य रूप से मुंबई शहर को पीने के जल की आपूर्ति के माध्यम से महाराष्ट्र के पास है। परियोजना का डी.पी.आर. केंद्रीय जल आयोग में मूल्यांकन के अधीन है। यह उल्लेख किया गया था कि दमनगंगा-पिंजल लिंकपरियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के लिए माननीय केन्द्रीय मंत्री (डब्ल्यूआर,आरडी और जीआर) की महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक आयोजित 7 जनवरी, 2015 को मुंबई में आयोजित हुई। जल, बिजली और लागत को साझा करने का मुद्दा रा.ज.वि.अ., महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार के बीच आधिकारिक चर्चा के स्तर पर है। परियोजना के लिए जल उपलब्धता अध्ययन दोनों राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया है।

माननीय जल संसाधन मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना में महाराष्ट्र राज्य को 100% निर्भरता के बजाय 75% निर्भरता पर आवंटित किया जाना चाहिए।महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना एक पेयजल आपूर्ति परियोजना थी और इसलिए, दिशानिर्देशों के अनुसार, इस परियोजना को 100% निर्भरता पर जल की उपलब्धता के लिए नियोजित किया गया है। हालांकि, जल की भागीदारी 75% निर्भरता पर होगी।

दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री परियोजना के कार्यान्वयन के पक्ष में हैं। हालांकि, गुजरात के मुख्यमंत्री ने माननीय मंत्री (डब्लू.आर., आर.डी. एंड जी.आर.) को सूचित किया है कि दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दोनों लिंक परियोजनाओं में जल भागीदारी से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के बादएक समझौते पर साझे में हस्ताक्षर किए जाना चाहिए।

सदस्यों का मानना था कि इस संबंध में वार्ता को शीघ्र ही बढ़ाया जा सकता है और सुझाव दिया जाता है कि चर्चा सरकारी स्तर पर की जा सकती है।

मद 7.6.2: पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने संक्षेप में लिंक परियोजना की स्थिति की व्याख्या की और उल्लेख किया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना को मुख्य रूप से गुजरात राज्य को लाभ होगा।यह उल्लेख किया गया था कि पीटीएन लिंकपरियोजना के संबंध में जल और बिजली साझाकरण के मुद्दे को सरकारी स्तर पर गुजरात और महाराष्ट्र सरकार के रा.ज.वि.अ. और जल संसाधन विभागों के बीच चर्चा चल रही थी। लिंक परियोजना के जल की उपलब्धता के अध्ययन दोनों राज्यों द्वारा सहमत हुए हैं। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री ने उनके माननीय केन्द्रीय मंत्री (डब्ल्यूआर,आरडी और जीआर) को संबोधित डीओ पत्र दिनांक 16 जनवरी 2015 में प्रस्तावित पार-तापी-नर्मदा लिंकके बारे में महाराष्ट्र के समझौते से अवगत करा दिया था कि गिरना उप-बेसिन को कम से कम 300 एमसीएम जल स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी और महाराष्ट्र के शेष जल का हिस्सा तापी बेसिन में कहीं और मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात सरकार वैकल्पिक समिति (1958) की प्रतिवेदन का सम्मान करेगी जो तापी बेसिन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक आवश्यकताओं और जल के आवंटन का आकलन करने के लिए स्थापित की गई थी।माननीय केन्द्रीय मंत्री (डब्ल्यूआर,आरडी और जीआर) ने गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र दिनांक 22 जून, 2015 द्वारा अय्यंगार समिति के प्रावधानों का सम्मान के मामले में गुजरात सरकार के विचारों की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात ने माननीय केन्द्रीय मंत्री (डब्ल्यूआर,आरडी और जीआर) को संबोधित डीओ पत्र दिनांक 10 सितंबर 2015 द्वारा संकेत दिया कि: *अय्यंगार समिति का प्रतिवेदन एक तकनीकी अध्ययन प्रतिवेदन था और यह कभी भी एक समझौता नहीं हुआ है, जो सभी बेसिनराज्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो। यह प्रतिवेदन 1958 में उकाई बांध के निर्माण से पहले प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में उकाई बांध में गुजरात राज्य द्वारा तापी जल का कुल उपयोग 5200 एमसीएम प्रति वर्ष था।तापी जल के 5200 एमसीएम की गुजरात की वर्तमान आवश्यकता में कोई कमी उकाई परियोजना के मौजूदा स्थापित कमान क्षेत्र को प्रभावित करेगी। जल साझाकरण और अन्य संबंधित मामले से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के बाद, गुजरात द्वारा तदनुसार एक उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।गुजरात जल के बंटवारे से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के बाद दोनों लिंकपरियोजनाओं जैसे पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजल दोनों के एक समझौता ज्ञापन पर गुजरात हस्ताक्षर करना चाहेगा।*

विशेष सचिव (डब्लू.आर., आर.डी. एंड जी.आर.) ने उल्लेख किया कि प्रस्तावित तापी मेगा रिचार्ज योजना की प्रतिवेदन हाल ही में पूरी हो चुकी है जो महाराष्ट्र में तापी बेसिन में जल संकटग्रस्त क्षेत्र की समस्या को हल करने में काफी आशाजनक साबित हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात की पार-तापी-नर्मदा लिंक के माध्यम से जल की व्यपवर्तन के लिए महाराष्ट्र का मतैक्य आवश्यक होगी। माननीय मंत्री (जल संसाधन विभाग), महाराष्ट्र ने उल्लेख किया कि उनकी सरकार ने पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना का भी समर्थन किया और पाया कि स्थलाकृतिक कारणों के कारण महाराष्ट्र नार-पार बेसिन का जल समुद्र में बहने में सक्षम नहीं है।

सदस्यों ने पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के संबंध में उपरोक्त स्थिति का उल्लेख किया और अभिलाषित किया था कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जल साझाकरण समझौते की प्रक्रिया तेज हो सकती है। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया कि माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने पहले ही कथन किया था कि वह दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजनाओं के बारे में शीघ्र ही बैठक करेंगी।

मद सं.7.7: महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना का संशोधित प्रस्ताव

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि महानदी-गोदावरी लिंकपरियोजना का संशोधित प्रस्ताव औरनदियों का अंतर्योजन (उप-समिति-I) के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/प्रतिवेदनों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति की संयुक्त बैठकों में महानदी बेसिनके जल संतुलन के मुद्दे पर और 21 अगस्त, 2015 और 29 सितंबर, 2015 को आयोजित सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति (उप-समिति-II) की चर्चा हुई। उन्होंने आगे कहा कि उप-समिति-II ने निर्णय किया कि महानदी-गोदावरी लिंक के अनुकरण अध्ययन में तीन महीने की अवधि के भीतर अधिशेष जल का पता लगाने के लिए जल के शेष अध्ययनों सहित जल विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए।

तेलंगाना सरकार के सलाहकार श्री आर. विद्यासागर राव ने दोहराया कि तेलंगाना में गोदावरी बेसिनमें कोई अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं है और रा.ज.वि.अ. को जल संतुलन अध्ययन को अद्यतन करना चाहिए। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि इंचमपल्ली में जल संतुलन के संशोधन का कार्य रा.ज.वि.अ. द्वारा प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति के निर्देश पर किया गया था और यह नवंबर, 2015 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी। श्री राव ने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. 1993 के दिशानिर्देशों के आधार पर जल संतुलन अध्ययन को संशोधित कर रहा था जिसमें अंत-लिंक परियोजना में जलउद्वहन 120 मीटर तक सीमित था। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना राज्य में अधिकांश सिंचाई योग्य क्षेत्र 300 मीटर से 500 मीटर की दूरी पर बहुत अधिक ऊंचाई पर थे, इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि दिशानिर्देशों को संशोधित करने की जरूरत है और रा.ज.वि.अ. से राज्यों के परामर्श से दिशानिर्देशों के संशोधन को अपनाने के लिए अनुरोध किया गया है।

यह निर्णय लिया गया कि रा.ज.वि.अ.नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं के जल संतुलन अध्ययन के लिए अपने दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगा। मामले को इसके विचार के लिए संबंधित उप-समिति को भेजा जाएगा।

मद सं.7.8: अंतः राज्जीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि इन राज्यों के 46 राज्यों में से 9 प्रस्तावों में से 9 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में 35 अंतः राज्जीय संबंधों की पूर्व संभाव्यताप्रतिवेदन (पीएफआर) पूरी हो चुकी है और 2 अंतः राज्जीय लिंक के डी.पी.आर. अर्थात् (i) बुरही गंडक-नून-बाया-गंगा और (ii) बिहार के कोसी-मेची भी पूरा हुए। उन्होंने आगे बताया कि रा.ज.वि.अ. द्वारा डी.पी.आर. की तैयारी के लिए तमिलनाडु के पौन्नैयार-पलारलिंक, महाराष्ट्र के वैनगंगा-नलगंगा लिंक, झारखंड के बरकर-दामोदर-सुबर्णरेखालिंक और ओडिशा के वमसाधारा-रुशिकुल्या का निर्माण किया गया है। बैठक के दौरान संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अंतः राज्जीय नदी लिंक प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की गई थी।

राजस्थान के प्रतिनिधि ने बताया कि 4 अंतः राज्जीय लिंक प्रस्तावों में से केवल 2 प्रस्ताव संभव पाए गए और इन दो लिंक प्रस्तावों के डी.पी.आर. तैयार करने के लिए राज्य सरकार को निधि प्रदान करने के लिए रा.ज.वि.अ. से अनुरोध किया गया। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि रा.ज.वि.अ. को जल संसाधन विभाग, राजस्थान से सिर्फ दो प्रस्ताव मिले हैं, जैसे कि; (1) चंबल बेसिन लिंक की पार्बती-कालीसिंध नदी, के साथ बनास, गंभीर और धोलपुर तक पार्बती नदी बेसिन और (2) ब्राह्मणी नदी (चंबल बेसिन) से बनास बेसिन को बिसालपुर तक जोड़ने के लिए। इन प्रस्तावों की जांच रा.ज.वि.अ. में की गई और उन्होंने राजस्थान सरकार के अधिकारियों से भी चर्चा की। यह उल्लेख किया गया था कि बाद में राजस्थान सरकार को अनुरोध किया गया है कि प्रस्ताव संख्या-1 के संबंध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के अनुमान के मद के अनुसार कुछ विवरण उपलब्ध कराए।रा.ज.वि.अ.को राजस्थान सरकार से अभी तक आवश्यक विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं। यह सूचित किया गया था कि राजस्थान के जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्ताव संख्या-2 का विस्तृत संभाव्यताप्रतिवेदन तैयार करने मार्च, 2015 में कंसल्टेंसी फर्म को पहले से ही सौंपा गया था।

माननीय कृषि राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ने आग्रह किया कि उत्तर प्रदेश को लाभ देने वाले हिमालयी नदियां विकास घटक में 4 अंत-लिंकके प्रस्तावों, नामतः, कोसी-घाघरा; गंडक-गंगा; घाघ-यमुना और सारडा-यमुना लिंककोभारत सरकार द्वारा प्राथमिकता पर लेना चाहिए।

प्रधान सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार ने उल्लेख किया कि उनके राज्य ने गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) को पट्टीसीमा परियोजना के माध्यम से पोलावरम दाहिनी मुख्य नहर में जलपंपन किया था। उन्होंने एनपीपी के तहत तीन कृष्णा-पेन्नार लिंकों के डी.पी.आर. तैयार करने के लिए राज्य सरकार की इच्छा भी व्यक्त की। रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि अनुप्रवाह के तीन कृष्णा-पेन्नार लिंकों की योजना अधिशेष जल रूप महानदी-गोदावरी और गोदावरी-कृष्ण संबंधों के हस्तांतरण पर निर्भर थी। इस प्रकार, जब तक महानदी- गोदावरी और गोदावरी-कृष्ण संबंधों की योजना संबंधित राज्यों की मतैक्यता से तय नहीं की जाती, तब तक तीन कृष्ण-पेन्नार लिंकों के डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता है।

मद सं.7.9: नदियों के जोड़ने के लिए विशेष समिति के गैर-आधिकारिक सदस्यों के लिए बैठक शुल्क और यात्रा भत्ता

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि कार्यसूची टिप्पण में दिए गए अनुसार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 28.9.2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति के गैर - आधिकारिक सदस्यों के संबंध में बैठक शुल्क और यात्रा भत्ता आदि के संबंध में नियम और शर्तें जारी की थीं।

उपरोक्त सूचना समिति द्वारा संज्ञान में ली गई।

मद सं 7.10: राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का पुनर्गठन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (उप-समिति-III) के पुनर्गठन के लिए उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन केंद्रीय माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) और विशेष समिति के अध्यक्ष को दिनांक 21.9.2015 के पत्र द्वारा प्रस्तुत किया था। इससे पहले, 15.9.2015 को विशेष समिति की पिछली बैठक में उप-समिति के अध्यक्षनेअनुशंसाओं सहित प्रतिवेदन की एक प्रस्तुति बनाई गई थी, जिसमें माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने इच्छा व्यक्त की थी कि पुनर्गठन पर उप-समिति को सरकार के प्रारंभिक अनुमोदन के लिए संसाधित किया जाना चाहिए। कुछ सदस्यों को प्रतिवेदन को देखने और उनकी समीक्षा/टिप्पणियां देने के लिए अधिक समय चाहते थे।

यह निर्णय लिया गया कि सदस्य दो सप्ताह के समय में प्रतिवेदन पर अपने विचार प्रदान कर सकते हैं। सदस्यों की समीक्षा/टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करने के बाद, प्रतिवेदन को सरकार के अनुमोदन के लिए संसाधित किया जाएगा।

मद सं.7.11: अध्यक्ष की अनुमति के साथ कोई अन्य मद

विविध टिप्पणियां:

प्रमुख सचिव, सिंचाई, आंध्र प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया कि हिमालयीनदियों के विकास के सभी घटक और प्रायद्वीपीय नदियां विकास घटक दोनों को लागू किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का पूरा उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि नदियों के अंतर्योजनके डी.पी.आर. तैयार करने के लिए वित्तपोषण के प्रतिरूप पर दिशानिर्देश तैयार किए जा सकते हैं ताकि लिंकों को लेने राज्य आगे आ सकें।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि एनपीपी के तहत नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं के डी.पी.आर. रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार किए गए थे और इन डी.पी.आर. तैयार करने की लागत को राज्य सरकारों से नहीं लिया गया था। यहां तक कि अंतरा-राज्य लिंकके डी.पी.आर. तैयार करने की लागत पूरी तरह से रा.ज.वि.अ./जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है और राज्य सरकारों के लिए शुल्क नहीं लगाया जाता है।

आयुक्त (एसपी), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालयने उल्लेख किया कि राज्य सरकारों को अपने अंतरा-राज्य लिंकोंके लिए स्वयं डी.पी.आर. तैयार कराना चाहिए, अगर यह राज्य के लिए प्राथमिकता है। वे उन्हें डीआईपी एवं एसआईपी के तहत शामिल करके ऐसे संभव परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत वित्त पोषण की तलाश कर सकते हैं।

श्रीमती सयाली जोशी, सदस्य ने अभिलाषित किया कि क्या डी.पी.आर. सार्वजनिक डोमेन में रखे गए हैं। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि डी.पी.आर. विशाल थे और इसमें चित्रों के बड़े पत्रक निहित हैं, और इसलिए, केवल उनके कार्यकारी सारांश और मुख्य विशेषताएं रा.ज.वि.अ. की वेबसाइट पर रखे गए थे।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. द्वारा नदियों को जोड़ने पर प्रस्तुति:

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने नदियों के अंतर्योजन की परियोजना (आईएलआर) पृष्ठभूमि, अब तक किए गए अध्ययन, लिंकपरियोजनाओं की योजना में शामिल विभिन्न मुद्दों आदि को समाहित करते हुए एक व्यापक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। प्रस्तुति की एक प्रति अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

तेलंगाना सरकार के सलाहकार ने कहा कि तेलंगाना सरकार इसमें शामिल विशाल जलमग्न होने के कारण इंचमपल्ली बांध का प्रस्ताव नहीं लेना चाहता था। महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य में डूब के खिलाफ है। उन्होंने दोहराया कि तेलंगाना में गोदावरी में कोई अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं था। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के लिए जल की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल संतुलन तैयार किया जाना चाहिए और परियोजना को 75%निर्भरता के बजाय 50%निर्भरता होने के लिए नियोजित किया जा सकता है।

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि इंचमपल्ली बांध के संबंध में तेलंगाना सरकार से अब तक कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि इंचमपल्ली में जल संतुलन का अध्ययन, जिसे अद्यतन किया जा रहा था, को प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति के समक्ष रखा जाएगा और तेलंगाना सहित संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।

विशेष सचिव (डब्लू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय) ने सुझाव दिया कि रा.ज.वि.अ. के गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (पुलिछिन्तला) और गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) के प्रस्तावों में होने वाले संशोधनों को उनके डी.पी.आर. को लेने से पहले देखना चाहिए।

माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने कहा कि संबंधित राज्यों को विचाराधीन प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति से पहले अपने विचारों को पहले रखना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ज्यादातर मुद्दों को उप-समिति स्तर पर हल किया जाएगा और सौहार्दपूर्ण समाधान और सर्वसम्मति पर पहुंचा जा सकता है।

केरल सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि पूर्व में रा.ज.वि.अ. द्वारा पम्बा-अचांकोविल-वैप्पारलिंकको नहीं लेने के लिए पहले ही एक प्रतिबद्धता बनाई गई थी। उन्होंने दोहराया कि केरल सरकार ने इस लिंकपरियोजना का विरोध किया था और यह विशेष समिति की विभिन्न बैठकों में आश्वासन दिया गया था कि नदियों के कार्यक्रमों को केवल संबंधित राज्यों की मतैक्यता से लिया जाएगा।

माननीय राज्य मंत्री (डब्लू.आर., आर.डी. एंड जी.आर.) ने अपनी समापन टिप्पणियों में उल्लेख किया कि नदियों के अंतर्योजन की परियोजना माननीय प्रधान मंत्री की एक सपनों की परियोजना थी। उन्होंने आगे कहा कि जल जो मानव जीवन के लिए जरूरी है, डराता जा रहा है इसीलिए नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम का कार्य शीघ्र ही किया जाना चाहिए। उन्होंने नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के माध्यम से जल के इष्टतम उपयोग के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा की।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन हुआ।

******

अनुलग्नक-I

नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु विशेष समिति की दिनांक 18.11.2015 को सेवा भवन, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में आयोजित पाँचवीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और प्रतिभागियों की सूची

1.	प्रो० सांवर लाल जाट, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री , जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री गिरीश महाजन, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्रसरकार, मुंबई	सदस्य
3.	श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सदस्य
4.	प्रो० रमेश चंद, सदस्य (कृषि), नीति आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री आर. विद्यासागर राव, सलाहकार, तेलंगाना सरकार	माननीय सिंचाई मंत्री, तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व
6.	श्री ए.बी. पंडया, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री ब्रजेश सिक्का, सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, का प्रतिनिधित्व
8.	श्री उमेश डोंगरे, सलाहकार (लागत), वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग, नई दिल्ली	मुख्य सलाहकार (लागत), वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व
9.	श्री अी. वेंकटेश, प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य

10.	श्री प्रदीप्ता प्रासण चनोकाकाटी, सचिव, जल संसाधन विभाग, असम सरकार, दिसपुर	मुख्य सचिव, असम सरकार का प्रतिनिधित्व
11.	श्री गुरुपाद स्वामी बी.जी., सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व
12.	श्री वी.जे. कुरियन, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार, तिरुवंतपुरम	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार का प्रतिनिधित्व
13.	श्री आर. सेल्वम, मुख्य अभियंता (पीडब्ल्यूडीॠ, तमिलनाडु	मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व
14.	श्री एस.वी. भगत, मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर, छत्तीसगढ़	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व
15.	श्री सुमनेश माथुर, अपर सचिव सह मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व
16.	श्री ए.के. गुप्ता, प्रधान अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़	मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व
17.	श्री डी. रामा कृष्णा, मुख्य अभियंता, आईएसडब्ल्यूआर, आंध प्रदेश सरकार, हैदराबाद	प्रधान सचिव, सिंचाई एवं सीएडी, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व
18.	श्री के.के. सिंह, अपर आवासीय आयुक्त, पुदुचेरी सरकार, पुदुचेरी	सचिव (पीडब्ल्यूडी), पुदुचेरी सरकार का प्रतिनिधित्व
19.	श्री विश्वनाथ मोहंती, कार्यपालन अभियंता, आईडब्ल्यूडीसी, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर	मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व

20.	श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
21.	श्रीमती सयाली जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता, पुणे	सदस्य
22.	श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

विशेष आमंत्रित

23. डॉ० अमरजीत सिंह,
विशेष सचिव, (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय),
नई दिल्ली

24. प्रो० पी.बी.एस शर्मा,
अध्यक्ष, उप-समिति-II, विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजन

25. श्री ए.डी. मोहिले,
पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय एवं केंद्र सरकार के अधिकारी

26. डॉ० बी. राजेंदर,
संयुक्त सचिव (पीपी),
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

27. श्री प्रदीप कुमार,
आयुक्त (एसपी)
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

28. श्री बी.के. पांडा,
माननीय मंत्री, डब्ल्यूआर, आरडी एंड
जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएसडी

29. श्री श्याम विनोद मीणा,
राज्यमंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी एंड
जीआर मंत्रालय) के निजी सचिव,

30. श्री जी.आर. चौधरी,
राज्यमंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी एंड
जीआर मंत्रालय) के अपर निजी सचिव,

31. श्री असित चतुर्वेदी,
वरि. संयुक्त आयुक्त (बीएम),
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

32. श्री समीर सिन्हा,
प्रवक्ता,
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

नीति आयोग

33. श्री जितेंदर कुमार,
सलाहकार,
नीति आयोग, नई दिल्ली

राज्य सरकारों के अधिकारी

34. श्री नवनीत कुमार,
मुख्य अभियंता (बेतवा),
झांसी

35. श्री एस.सी. शर्मा,
अधीक्षण अभियंता,
सिंचाई, झांसी

36. श्री पवन वर्मा,
मुख्य अभियंता,
हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
हरियाणा सरकार, दिल्ली

37. श्री प्रमोद जी. मनदादे,
अधीक्षण अभियंता एवं उप सचिव,
जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार

38. श्री एम.पी. समरिया,
कार्यपालन अभियंता एवं एल.पी.ओ.
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार

39. श्री गुरदीप सिंह,
उप निदेशक,
जल प्रकोष्ठ, सिंचाई विभाग,
पंजाब सरकार

40. श्री मदन मोहन सेठी,
सहा. कार्यपालन अभियंता,
जल संसाधन विभाग, ओडिशा

41. श्री योगेश कुमार मित्तल,
अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार

42. श्री आर. शिवप्रसादम पिल्लई,
कार्यपालन अभियंता,
कावेरी विशेष प्रकोष्ठ,
केरल सरकार, नई दिल्ली

43. श्री बी.के. बासु,
उप कार्यपालन अभियंता,
कार्यालय मुख्य अभियंता,
अंत:राज्यीय एवं जल संसाधन विभाग,
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

44. श्री जे.के. शर्मा,
सहायक अभियंता,
उप्र सिंचाई, लखनऊ

45. श्री विजयाकुमार पी.जी.,
सहायक अभियंता एवं संपर्क अधिकारी,
केरल सरकार

46. श्री एस. प्रकाश,
सहायक अभियंता, कावेरी,
ड्बल्यू.आर.डी.ओ. की एक इकाई, बेंगलुरु

47. श्री ए.एम. पटेल,
माननीय सिंचाई राज्यमंत्री के निजी सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार

48. श्री आर. विजयनाथन,
संपर्क अधिकारी,
कार्यालय कावेरी विशेष प्रकोष्ठ,
तमिलनाडु आवास, नई दिल्ली

केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी

49. श्री अभिषेक सिन्हा,
उप निदेशक,
टीसी निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली

एनड्ब्ल्यूडीए के अधिकारी

50. श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (मु०),
नई दिल्ली

51. श्री एम.के. श्रीनिवास,
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
हैदराबाद

52. श्री एच.एन. दीक्षित,
मुख्य अभियंता (उत्तर),
लखनऊ

53. श्री एन.सी. जैन,
निदेशक (तक०),
नई दिल्ली

54. श्री के.पी. गुप्ता,
अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली

55. श्री ओ.पी.एस. कुशवाह,
अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली

56. श्री जब्बार अली,
उप निदेशक, नई दिल्ली

57. श्री आर.के. खरबंदा,
उप निदेशक, नई दिल्ली

58. श्री नागेश महाजन,
उप निदेशक, नई दिल्ली

59. श्री एम.एस. अग्रवाल,
वरिष्ठ परामर्शदाता, रा.ज.वि.अ.,
नई दिल्ली

60. श्री एम.के. सिन्हा,
वरिष्ठ परामर्शदाता, रा.ज.वि.अ.,
नई दिल्ली

61. निजाम अली,
परामर्शदाता, रा.ज.वि.अ.,
नई दिल्ली